न्यायालयः गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन (म.प्र.)

आर.सी.टी. 02/2026
संस्थित दिनांक 05.01.2026

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र प्रभारी जैतापुर म0प्र0 ....**अभियोगी**

//विरूद्ध//

1.इंदरसिंह पिता स्व.औंकारसिंह उम्र 57 वर्ष,निवासी आसपुर थाना बाघ जिला धार
2.समीर पिता शंकर मोहनिया जाति भील उम्र 25 वर्ष
निवासी पिपलवा थाना टांडा जिला धार मप्र. ....**अभियुक्तगण**

//उपार्पण आदेश//

(आज दिनांक– 07/01/2026 को पारित किया गया)

1– आरक्षी केन्द्र जैतापुर की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 77/2025 धारा 305(1),331(4),111 भा.न्या.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षिप्तः इस प्रकार है कि फरियादी ओमप्रकाश ताम्रकर 162 एम.आई.जी.विंध्य विहार कालोनी न्यू हाउसिंग बोर्ड खरगोन में रहता होकर राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त है। उसके तीन बच्चे हैं तीनों की शादी हो गई। उसके साथ उसकी पत्नी बडा लडका व बहु थे दिनांक 16.8.25 को लडका सागर व बहु धारवी सुबह घर पर ताला लगाकर इंदौर छोटे लडके के यहां चले गये थे। दिनांक 17.8.25 को वह भी सुबह इंदौर पहुंच गया था तभी कुछ समय बाद उसे पडोसी ने फोन लगाया कि आपके घर के दरवाजों के ताले टूटे हैं तब वह और उसकी पत्नी लडका व बहु सभी खरगोन अपने घर आये घर के अंदर जाकर देखा तो सामने गेट में लगा ताला नहीं था तथा मेनगेट में जो ताला लगा था वह भी टूटा था। पीछे के दोनों कमरों में रखी अलमारी खुली पडी थी,सामान बिखरा पडा था। घर का सामान चैक किया तो अलमारी में रखे पुराने इस्तेमाली सोने के हार दो नग,झूमके दो नग,कान के लटकन दो नग,अंगूठी तीन नग,कान की सर,नथ,बच्चे की अंगूठी एक,पेंडल,चांदी की पायल चार दो छोटे,दो बडे,हाथ की सर आदि सामान

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पश्चिम निमाड़ खरगोन (म. प्र.)

नहीं मिला कोई बदमाश रात्रि में घर के दरवाजे का ताला तोडकर घर में घूसकर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। बाद लडके सागर को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने गया। आरोपीगणों द्वारा संगठित होकर उक्त कृत्य किये जाने से धारा 111 बीएनएस का इजाफा किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी लच्छू तथा पानसिंह के विरूध धारा 193(9) बी.एन.एस.एस के तहत विवेचना जारी रखते हुए आरोपी समीर एव इंदरसिंग की अभिरक्षा की समय अवधि पूर्ण होने से उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रं. 77/2025 अंतर्गत धारा 305(1),331(4),111 भा.न्या.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पंचनामा कार्यवाही,मौका नक्शा निर्मित किया, तथा संबंधित साक्षीगण के कथन लेख किये। अभियुक्तगण को सूचनापत्र देकर, अन्वेषण पूर्ण करने उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र का परिशीलन करने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 305(1),331(4),111 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार विद्यमान है। आरोपीगण द्वारा आक्षेपित अपराध इस न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होकर अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः धारा 232 भा.ना.सु.सं. में उपबंधित अनुसार प्रकरण विचारण हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

4— अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः उन्हें निर्देश दिए जाते है कि वह आगामी दिनांक 21.1.26 को समय 11:00 बजे दिन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन के न्यायालय में उपस्थित रहें।

5— उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक व नाजिर मालखाना को दी जाये।

6— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में आरक्षी केन्द्र प्रभारी जैतापुर को निर्देश दिये जाते है कि वे जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई भी प्रलेख माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

7— अभियुक्तगण के निरोध अवधि के संबंध में प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

दिनांक—07.01.2026
स्थान— खरगोन

मेरे बोलने पर टंकित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पश्चिम निमाड खरगोन (म. प्र.)